

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(चिकित्सा प्रकोष्ठ)

सं. एफ.8(3)/ 09-10/ एमसी/डीडीए/ 2055

दिनांक: 08 फरवरी 2010

कार्यालय ज्ञापन

सीजीएचएस के साथ पंजीकृत कुछ अस्पतालों एवं निदान केंद्रों को डीडीए के कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के इलाज हेतु ज्ञापन सं. एफ.8(3)/ 09-10/ एमसी/1272 दिनांक 14.10.2009 एवं एफ.8(3)/ 09-10/ एमसी/1944 दिनांक 24.12.2009 के तहत उनमें वर्णित दरों एवं शर्तों के अनुसार सूचीबद्ध किया गया था। यद्यपि सूची में शामिल करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, यह पाया गया है कि डीडीए के साथ सूचीबद्ध अस्पतालों/ निदान केंद्रों की संख्या इस समय अपर्याप्त है। इतना ही नहीं, ये अस्पताल सीजीएचएस के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए हैं और अधिकांश मामलों में एक ही छत के नीचे इलाज की सारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में यदि कर्मचारी/ पेंशनर किसी अन्य अस्पताल में इलाज कराना चाहे तो उसे अपनी जेब से काफी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी।

कर्मचारियों/ पेंशनरों की कठिनाइयों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल, नई योजना के पूरी तरह प्रचालनात्मक होने तक राज्य सरकार/ डीएचएस के साथ पंजीकृत किसी अन्य अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में कराए गए इलाज को समय-समय पर अधिसूचित सेंट स्टीफन अस्पताल की दरों के अनुसार नियमित किया जाएगा।

इसे कुलपति के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(राजीव पांडे)

मुख्य लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. कुलपति के ओएसडी
2. वित्त सदस्य के ओएसडी
3. ईएम के वरिष्ठ निजी सचिव

कुलपति /वित्त सदस्य /ईएम की सूचनार्थ

4. डीडीए के सभी विभागों/ शाखाओं को सूचनार्थ।